1.4.25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र व
तथ्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन
करने पर पाया कि पत्रावली में पूर्व में दिनांक 5.8.2004
को पत्रावली [illegible] के आदेश किये जा चुके हैं।
उक्त पत्रावली न्यायालय [illegible] पत्रावली [illegible] जांच
हो अतः पत्रावली [illegible]
में कार्यवाही दाखिल [illegible]
को नस्तीदाखिल हो

[illegible signature]
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 12:03:49 IST
Reason: SelfAttested